

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राज—पत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	चैत्र 11, शुक्रवार, शाके 1933—अप्रैल 1, 2011 <i>Chaitra 11, Friday, Saka 1933—April, 2011</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT**

**(Group-II)**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, April 1, 2011**

**No. F. 2(12) Vidhi/2/2011.**—The Following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 31<sup>st</sup> day of March, 2011 is hereby published for general information:-

**THE RAJASTHAN LAND REVENUE  
(AMENDMENT) ACT, 2011**

**(Act No. 14 of 2011)**

(Received the assent of the Governor on the 31<sup>st</sup> day of March 2011)

*An*

*Act*

*further to amend the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.**— (1) This Act may be called the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment in section 4, Rajasthan Act No. 15 of 1956.**— In sub-section (2) of section 4 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), for the existing word “fifteen”, the word “twenty” shall be substituted.

सत्य देव टाक,

**Principal Secretary to the Government.**

## विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 1, 2011

संख्या प. 2 (12)/विधि/2/2011.—राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2011 (एक्ट नं. 14 ऑफ 2011)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्याक 14)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-इस अधिनियम का नाम राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 की धारा 4 का संशोधन.-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 4 की उप-धारा (2) में, विद्यमान शब्द "पन्द्रह" के स्थान पर शब्द "बीस" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

सत्य देव टाक,

प्रमुख शासन सचिव।